न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2019 (राजसमन्द डिक्री)

भूरा पिता रामलाल जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रतनलाल पिता रामलाल जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 14.03.2018, प्र.सं. 141/16

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री एस. के. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2. पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———:::———

निर्णय दिनांक

21–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 182 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नंबर 184 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम माता जी का खेड़ा में स्थित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित है। आराजी नंबर 182 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में संवत् 2038 से 2041 में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज थी

तथा उसी वर्ष अन्य खातेदार रामलाल पिता दोला का 1/12 हिस्सा तथा प्रताप पिता हीरा का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से उक्त भूमि का उनका हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने खरीद लिया। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में 3/9 हिस्सा वादी का व 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का बनता है। इसी प्रकार आराजी नंबर 184 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में खातेदार नारू पिता काना ने अपना 1/6 हिस्सा वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया तथा रतनलाल पिता दोला व प्रताप पिता हीरा दोनों ने अपने हिस्सेदारी व प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा बतना है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का कलम संख्या 5 वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादी को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा मिथ्या वाद प्रस्तुत किया गया है। कानूनन किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकरण में पारित आदेश को अपास्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनने की बाद अपने निर्णय दिनांक 14–03–2018 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–02–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14–01–2019 को उक्त निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त निर्णय उभयपक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें पटवारी के माध्यम् से दिनांक 14–01–2019 को हुई, विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वादी द्वारा पूर्व में विभाजन का ऐसा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिसका निर्णय हुआ हो केवल मात्र अभियान के दौरान मौरूषी जायदाद का विभाजन हुआ, जिसमें पटवारी हल्का ने मिली भगत करके वादी का हिस्सा कम अंकित किया है, जिसकी दुरस्ती का वाद किया गया है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण पुनः समुचित कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह माना कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य पूर्व में आपसी सहमति

से विभाजन हो चुका है, जिससे पुनः विभाजन हेतु इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है तथा इसी आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14—03—2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21—05—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू०प्र०अ० एवं पदेन रा०अ०अ०.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर०ए०एस० ....
....

भूरा पिता रामलाल जाट, निवासी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
माता जी का खेड़ा, तह. रेलमगरा रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य
जिला राजसमन्द

अपील नं०.......7/2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........रेलमगरा.......... मुकाम................मुवर्खे.............14...............माह..............
03............2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........21....माह........05.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी......श्री एस. के. मेहता.....मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री पैरोकार सरकार

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2018 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........21......माह.......05...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।